## कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED कोच्ची / KOCHI - 15

तिथि/Date: 18 June 2020

सं/No.PERL/17(28)/2014

## वर्ष 2020-21 केलिए सेवानित्त कर्मचारियों का ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी GROUP MEDICLAIM POLICY FOR RETIRED EMPLOYEES FOR THE YEAR 2020-21

1. वर्ष 2020-21 केलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी को मै. युनाइटड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड, एर्णाकुलम के साथ नवीकृत किया गया है । पॉलिसी के अनुसार, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों केलिए निम्नलिखित संरक्षण/ लाभ उपलब्ध है :

The Group Mediclaim Policy for Retired Employees for the year 2020-21 has been renewed with M/s.United India Insurance Company Limited., Ernakulam. As per the policy, the following cover/benefits are available to the eligible retired employees:

- i. सामान्य बाह्य रोगी (ओपी) उपचार: सामयिक आधार पर 6 व्यक्तियों के परिवार इकाई के लिए एक वर्ष में 20,000/- रूपए तक।
  - General Out-patient (OP) treatment: Upto ₹20,000/- in a year for a family unit of 6 persons on floater basis
- ii. सामान्य अंतरंग रोगी (आईपी) उपचार: सामयिक आधार पर 6 व्यक्तियों के परिवार इकाई के लिए एक वर्ष में 2,00,000/- रूपए तक।

  General In-patient (IP) treatment: Upto ₹2,00,000/- in a year for a family unit of 6
  - persons on floater basis
- iii. गंभीर बीमारी ओपी: प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 40,000/- रूपए तेक और हृदय संबंधी / डयालिसिस / कैंसर रोगियों के लिए प्रति दिन उपचार 1,50,000/- रूपए प्रति व्यक्ति जो 100 अलग व्यक्तियों तक सीमित।
  - Critical illness OP: upto ₹40,000/- in a year per person and day care treatment for Cardiac/dialysis/cancer patients ₹1,50,000/- per person restricted to 100 distinct persons.
- iv. गंभीर बीमारी आईपी: प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6,00,000/- रूपए तक। Critical illness IP: Upto ₹6,00,000/- in a year per person
- v. अतिरिक्त गंभीर बीमारी ओपी (निर्दिष्ट बीमारी हेतु) : प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50,000/- रूपए जो एक वर्ष में पहले 5 व्यक्तियों तक सीमित।

  Additional critical illness OP (for specified illness): ₹50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year.
- vi. अतिरिक्त गंभीर बीमारी आईपी (निर्दिष्ट बीमारी हेतु) : प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 4,00,000/-रूपए जो एक वर्ष में पहले 5 व्यक्तियों तक सीमित।

Additional critical illness IP (for specified illness): ₹4,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year

vii. कैंसर देखभाल ओपी : प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,50,000/- रूपए जो पहले 5 व्यक्तियों तक सीमित।

Cancer care OP: ₹1,50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons

viii. कैंसर देखभाल आईपी : प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 21,00,000/- रूपए जो पहले 5 व्यक्तियों तक सीमित।

Cancer care IP: ₹ 21,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons

ix. हिस्टेरेक्टॉमी खर्चों की प्रतिपूर्ति 70,000/- रुपए तक सीमित है।

Reimbursement of Hysterectomy expenses limited to ₹70,000/-

2. 6,40,000 /- रूपए की कुल गंभीर बीमारी का संरक्षण और प्रति दिन उपचार का लाभ उठानेवाले वाले 100 व्यक्तियों के लिए लागू 7,50,000 /- रूपए की कुल गंभीर बीमारी का संरक्षण एक वर्ष के लिए 4,00,00,000/- रूपए के सामान्य समग्र निधि से लिया जाएगा और पॉलिसी में शामिल सभी श्रेणियों के कर्मचारियों केलिए लागू मास्टर पॉलिसी के कुल सदस्यों केलिए सामान्य गंभीर बीमारी की सीमा से ज्यादा और उससे अधिक होनेवाली कुल अतिरिक्त बीमारी संरक्षण और कैंसर संरक्षण एक वर्ष में 1,00,00,000/- रूपए के सामान्य समग्र निधि से लिया जाएगा। अतिरिक्त गंभीर बीमारी और कैंसर संरक्षण के तहत ऊपर सूचित सीमाओं के साथ पहले 5 व्यक्तियों के लिए सामान्य समग्र निधि और अतिरिक्त संरक्षण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सभी श्रेणियों (सूची पर रहे कार्यपालक, पर्यवेक्षक, कामगार और सेवानिवृत्त कर्मचारीगण) के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लागू है जो ग्रूप मेडिक्लेम पॉलिसी के अधीन बीमकृत है।

The total critical illness cover of ₹6,40,000/- and total critical illness cover of ₹7,50,000/- applicable for 100 person availing day care treatment shall be met out of a Common Corpus Fund of ₹4,00,00,000/- for a year and, the total additional illness cover and cancer cover over and above the general critical illness limit shall be met out of a common corpus fund of ₹1,00,00,000/- in a year for the total members of the Master Policy applicable to all categories of employees included in the Policy. The common corpus fund and additional coverage for first 5 persons with aforementioned limits under the Additional Critical illness & Cancer Cover will be on first come first serve basis among all categories of employees and their dependants who are insured under the Group Mediclaim Policy, which is applicable for all categories (executives, supervisors, workmen on the roll and retired employees)

3. अधिकतम छह व्यक्तियों को शामिल करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति परिवार इकाई को वर्ष 2020-21 केलिए ऊपर दिए गए बीमा राशि केलिए देय पूर्ण प्रीमियम 41,534 रुपए है ।

Full premium payable for the above sum assured for the year 2020-21 per family unit of retired employees covering maximum 6 persons is ₹41,534/-

4. इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 16.01.2015 के पी एंड ए / 18 (175) / 2009 के अनुसार, संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सा सहायता योजनाओं के अधीन शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारी से अनुरोध है कि वे नीचे सूचितानुसार लागू प्रीमियम प्रेषित करें।

In line with the Circulars No.P&A/18(175)/2009 dt. 16.01.2015 issued by P&A Dept. in this respect, retired employees covered under the respective post retirement medical assistance schemes are requested to remit the applicable premium, as indicated below.

The !

मौजूदा हिताधिकारियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का विवरण Details of premium to be paid by the existing beneficiaries	राशि (रू.) Amt (Rs)
Workmen who retired prior to 01.04.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	100.00
Workmen who retired after 01.04.2007 on superannuation and paid the one time enrolment fee of Rs 50,000/- or Rs 40,000/- as the case may be lump sum	4,154.00
Workmen who retired after 01.04.2007 under VRS/VPRS or resigned after 15 years service in CSL or not opted for one time payment	41,534.00
Workmen who retired on superannuation between 01.04.2007 and 01.05.2014 but did not pay onetime enrollment fee and wish to join scheme by paying 50% of premium	20,767.00
Supervisors and officers who retired prior to 01.01.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	100.00
Supervisors and officers who retired after 01.01.2007 on superannuation after 15 years of service in CSL	4,154.00
Officers, supervisors who resigned after 15 years of service in CSL	41,534.00

5. सभी योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जो इस योजना में सदस्यता को नवीनीकृत करने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 20 से 30 जून 2020 के दौरान सीएसएल सरकारी वेबसाइट www.cochinshipyard.com / Related Links / Retirees corner पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में नवीकरण केलिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। निम्न चरणों के अनुसार नवीकरण प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। www.cochinshipyard.com / Related Links / Retirees corner पर जाएं और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके retired employees portal पर लॉग इन करें, जो पहले से ही उपलब्ध है। Insurance → Insurance Premium Collection का चयन करें। यह मौजूदा आश्रितों की सूची प्रदर्शित करेगा। यदि आवश्यक हो, तो आश्रितों की सूची को प्रविष्टियों को जोड़कर और हटाकर संशोधित किया जा सकता है। आश्रितों की सूची में क्षेत्र अनिवार्य हैं। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है, वे बीमा प्रीमियम को नवीनीकृत करने हेतु कार्मिक व प्रशासन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

All eligible retired employees desirous of renewing the membership in the scheme are requested to submit an online application for renewal in the prescribed form available at CSL official website during 20<sup>th</sup> to 30<sup>th</sup> June 2020. The renewal premium can be paid using following steps. Go to <a href="www.cochinshipyard.com">www.cochinshipyard.com</a> / Related Links / Retirees corner and log on to retired employees portal using user ID and password, which is already provided. Select Insurance  $\rightarrow$  Insurance Premium Collection. It will display existing dependants list. If required, the dependants list can be modified by adding and deleting entries. The fields in the dependants list are mandatory. Those retired employees who do not have a User ID and Password may get the same from P&A department to renew the insurance premium.

आश्रितों की सूची की पुष्टि पर, बीमा प्रीमियम भुगतान करने हेतु निम्न विकल्प प्रदान किया जाता है। On confirmation of dependants list, the following option is provided to make the insurance premium payment.

a) ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान करें / Pay Premium Online
सेवानिवृत्त कर्मचारीगण जिन्हें प्रीमियम का भुगतान करने हेतु निदेशित किया जाता है, वे
"Pay Premium" बटन पर क्लिक करें जो आपकी योजना के विवरण की ओर ले जाएगा और
फिर "Proceed for Payment" पर क्लिक करें। यह लिंक स्वचालित रूप से भुगतान द्वार पर
पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां आप विभिन्न भुगतान विकल्पों का उपयोग करके राशि भेज
सकते हैं। भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आप भुगतान रसीद का प्रिंट आउट ले
सकते हैं।

The retired employees are directed to pay premium online by clicking on "Pay. Premium" button that navigates to your scheme details and then click on "Proceed for Payment". This link will be automatically redirected to payment gateway where you can remit the amount using various payment options. After successful completion of payment, you may take the print out of the payment receipt.

पुष्टिकरण पृष्ठ या भुगतान रसीद का प्रिंट आउट सीएसएल को भेजने की आवश्यकता नहीं है Printout of confirmation page OR payment receipt is not required to be sent to CSL

6. कृपया ध्यान दें कि नकद लेनदेन पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण और वर्तमान के कोविड -19 स्थिति को देखते हुए सीएसएल में भुगतान प्रेषित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अतः सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ऑनलाइन भुगतान विकल्प का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है। योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और अभ्यास निरंतर जारी रहेगा। कृपया ध्यान दें कि पॉलिसी को नवीनीकृत करने में विफलता होने से, योजना से स्वतः बाहर निकला जाएगा और बाद में नवीनीकरण की अनुमति नहीं होगी।

Please note that due to restrictions imposed by the Government on cash transactions and in view of the present Covid 19 situation option to remit payment at CSL will not be available. Hence all retired employees are requested to make use of the online payment option. Procedure and practice of availing the benefits under the schemes would continue to remain unaltered. Kindly note that failure to renew the policy would entail automatic exit from the scheme and later renewal is not permitted.

7. आगे कोई स्पष्टीकरण और मार्ग-निर्देश केलिए कृपया दूरभाष: 0484 - 2501925 / 2501237 में संपर्क करें।

For any further clarification and guidance, please contact Tel: 0484 - 2501925 / 2501237

(के जे रमेष / KJ Ramesh)

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशि) Chief General Manager (HR&Trng)

सेवा में / To:

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी / All Retired Employees सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी यूनियन और संघ । All Unions and Associations representing Retired Employees

प्रतिलिपि / Copy to:

नि(प्र.)/नि(तक.)/नि(वि.)/D(O) / D(T) / D(F)
मु.स.अ./CVO
मु.स.प्र./म.प्र./ उ.म.प्र./CGMs / GMs / DGMs
उ.क.(सीआईएसेएफ)/DC (CISF)
महासचिव सीएसईओ/सीएसईएफ/सीएसईयू/एसईएस/सीएसएसएसए/सीएसओए
General Secretary CSEO / CSEF / CSEU / SES / CSSSA / CSOA